–शपथ पत्र–

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था .... के सशपथ घोषणा करते है कि–

1. हमारी प्रस्तावित संस्था ..... के पंजीयन हेतु कुल ..... आवेदक सदस्य है।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उदेश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधीकारी नहीं है ।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली के बिन्दु संख्या 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उदेश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गयी है।
4. उक्त वर्णित उदेश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते है के अनुसार संस्था उक्त कार्यकारीणी एवं पंजीकृत उदेश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गयी और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप में कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो राजिस्ट्रार संस्थाऐं, ... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रदद करने का अधिकार होगा।
8. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 4 व 4 (क) के अनुरूप संस्था की आम सभा होने के 14 दिन बाद अपेक्षित सूचनाऐं रजिस्ट्रार (संस्थाऐं), ... को भिजवायी जावे तथा प्रावधानों की पालना करने में विफल होने पर धारा 4 (ख) के प्रावधानों के अनुसार शास्ति के लिये संस्था उत्तरदायी होगी ।
9. भविष्य में उक्त बिन्दू संख्या 1 से 8 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाऐं, ... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

सत्यापन–

हम उपर्युक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही है कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपर्युक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकार में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएं ..... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष